न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/940

1. नरेश कुमार पुत्र स्व0 शारदा एवं स्व0 दयाराम जाति जाट निवासी राणासर उप तहसील मुकन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रपाल पुत्र प्रकाशचन्द्र
2. जगतपाल पुत्र प्रकाशचन्द्र
3. श्रीमती सुनीता पत्नी स्व0 महिपाल
4. श्रवि पुत्र स्व0 महिपाल
5. अखिलेख पुत्र स्व0 महिपाल
6. निरू पुत्री स्व0 महिपाल
7. नितु पुत्री स्व0 महिपाल
8. श्रीमती सरोज पत्नी स्व0 विजयपाल
9. आदित्य पुत्र स्व0 विजयपाल
   समस्त जाति जाट निवासीगण खिंदरसर तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
10. सिलोचना पुत्री स्व0 प्रकाशचन्द पत्नी शीशराम नेहरा हाल निवासी तारा का बास पोस्ट चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू।
11. योगेश कुमार पुत्र स्व0 शारदा देवी एवं स्व0 दयाराम जाति जाट हाल निवासी राणासर उप तहसील मुकन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
12. सुशीला पुत्री स्व0 शारदा एवं स्व0 दयाराम पत्नी दलीप सिंह जाति जाट हाल निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू। (राज0)
13. सरोज पुत्री स्व0 शारदा एवं दयाराम पत्नी महावीर सिंह जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज0)
14. सुभीता पुत्री स्व0 शारदा एवं स्व0 दयाराम पत्नी श्यामलाल जाति जाट निवासिनी जयसिंहपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं (राज0)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू प्रकरण संख्या 13/2024 उनवानी नरेश कुमार वगैरह बनाम परमेश्वरी वगैरह निर्णय दिनांक 25.07.2024 जिसके तहत अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा स्वीकृत किए गए नामांतरकरण संख्या 335 बाबत ग्राम खिदरसर दिनांकित 16.06.1992 कैम्प देरवाला

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री मुकेश योगी,, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 6 से 8, 10 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5, 9, 11 से 14 की ओर से उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक–20.08.2025

1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनरथ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट नरेश कुमार पुत्र स्व0 शारदा एवं दयाराम वगैरह ने न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 335 ग्राम खिदरसर आदेश दिनांक 16.06.1992 कैम्प देरवाला की प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि नामान्तरकरण जैर बहस शारदा की गैर हाजरी में व विना जानकारी में स्वीकृत हुआ है। अपीलान्टस् को भी उक्त नामान्तरकरण की जानकारी कभी नहीं हुई। कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद अपीलान्टस् की माता शारदा जमीन पर अपने जीवनकाल में काविज रही। शारदा की मृत्यु होने के बाद अपीलान्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

काबिज हुए। दिनांक 10.02.2024 को रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 11 ने अपीलान्टस को जमीन से बेदखल करने की धमकी दी और यह कहा कि उनका जमीन में कोई लेना देना नहीं है। इस पर जानकारी कर दिनांक 12.02.2024 को नामान्तरकरण जैर बहस की प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो उसी दिन तैयार होकर मिली। इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.02.2024 को हुई। अपीलान्टस की अपील में मैरिट है। आदेश जैर बहस अवैध व शून्य है। अवैध व शून्य आदेश को चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपीलान्ट को अन्दर मियाद समाहत किये जाने का आदेश फरमाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2024 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि प्रकरण में अपीलान्टस/प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांकित 16.06.1992 के विरूद्ध अपील दिनांक 27.02.2024 को न्यायायल हाजा में प्रस्तुत की है यानि लगभग 32 वर्षो के बाद है। इतने लम्बे समय को यदि कण्डोन कर प्रार्थी की दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो उक्त अधिनियम नगण्य रह जायेगा। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों को समर्थन मिलता हो। अपीलान्टस/प्रार्थी को मियाद का लाभ दिया जाना न्यायालय की दृष्टि में उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने के अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 25.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स नरेश कुमार पुत्र वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 25.07.2024 को निरस्त करने तथा अपीलांटस की ओर से उनके यहां प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 13/2024 उनवानी नरेश कुमार बनाम परमेश्वरी वगैरह स्वीकार की जाकर उक्त अपील में चुनातीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांकित 16.06.1992 द्वारा स्वीकृत तहसीलदार झुन्झुनूं को निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 25.07.2024 एवं तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा स्वीकृत किया गया अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 335 दिनांकित 16.06.1992 विरूद्ध कानून एवं विरूद्ध पत्रावली है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 25.07.2024 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 14 की ओर से प्रस्तुत की गई प्रथम अपील को मनमाने रूप से केवल मात्र कल्पना एवं कयास के आधार पर इस निष्कर्ष के आधार पर खारिज किए जाने में गंभीर कानूनी भूल की गई है कि नामांतरकरण संख्या 335 दिनांकित 16.06.1992 के विरूद्ध अपील दिनांक 27.02.2024 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है यानि लगभग 32 वर्ष के बाद है, इतने लम्बे समय को कन्डोन कर प्रार्थी को दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो उक्त अधिनियम नगग्य हो जायेगा। योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू का उक्त निर्णय व निष्कर्ष विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है, इस कारण प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है तथा अपीलाधीन नामांतरकरण भी सर्वथा अवैध होने के कारण प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। योग्य अधिनस्थ न्यायलय जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 25.07.2024 पारित करते समय अपीलांटस की ओर से अपील मीमो, अपील के साथ प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित अभिकथनों तथा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किए न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2016 (1) राज. पेज 205–209, आर.आर.डी. 1992 पेज 17–19, आर.आर.डी 2012(2) पेज 1412–1417 का कोई विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। इस कारण भी योग्य अधिनस्थ जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 26.07.2024 स्थिर रहने योग्य नहीं होकर प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांकित पारित करते समय अपीलांट की और से प्रस्तुत की गई प्रथम अपील की मैरिट की ओर गौर ही नहीं किया गया। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 25.07.2024 स्थिर रहने योग्य नहीं है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस तथ्य की ओर गौर नहीं किया गया कि उनके समक्ष जिस नामांतरकरण के खिलाफ प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी वह नामांतरकरण शून्यता की श्रेणी में आता है ऐसे नामांतरकरण के मामले में मियाद बिन्दु गौण होता है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा इस तथ्यात्मक एवं कानूनी स्थिति की ओर गौर किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है कि जिस नामांतरकरण के खिलाफ उनके यहां प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, उस नामांतरकण को स्वीकृत किए जाने से पूर्व अपीलांट एवं उनकी माता को किसी तरह की सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदत्त नहीं किया गया था तथा न ही अपीलांट एवं उनकी माता शारदा को अपीलाधीन नामांतरकरण के बारे में अन्यथा कोई जानकारी हो पाई। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनु द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किए जाने में भारी भूल की गई है कि प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों को समर्थन मिलता हो। अपीलांटस द्वारा प्रथम अपील व उसके साथ प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 5 मियाद अधिनियम में यह तथ्य अंकित किया गया है कि अपीलांट एवं उनकी माता को अपीलाधीन नामांतरकरण के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। इस तथ्य को साबित किए जाने के लिए कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया जा सकता है बल्कि रेस्पोंडेन्ट पक्ष को इसके खण्डन में साक्ष्य या दस्तावेज पेश करना होता है जो नहीं किया गया। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय गलत निष्कर्ष के आधार पर पारित किया गया होने के कारण निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत की गई अपील की रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 परमेश्वरी का नाम हजफ किए जाने बाबत आदेश पारित हो गया था। इस कारण उसे प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झनु के समक्ष अपील अपीलांट एवं रेस्पो० संख्या 14 सुभीता की ओर से प्रस्तुत की गई थी, परंतु सुभीता वर्तमान में यहां नहीं रहने के कारण उसे रेस्पो० संख्या 14 के रूप में प्रस्तुत अपील में पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनु द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 25.07.2024 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांटस की ओर से उनके यहां प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 13/2024 उनवानी नरेश कुमार बनाम परमेश्वरी वगैरह स्वीकार की जाकर उक्त अपील में चुनौतीग्रस्त नामांतरकरण संख्या 335 दिनांकित 16.06.1992 द्वारा तहसीलदार झुन्झुनू को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 6 से 8, 10 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलान्टस द्वारा नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांक 16.06.1992 के विरूद्ध अपील 32 साल बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलान्टस को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से रही है। दिनांक 16.06.1992 को नवलकिशोर पुत्र लेखराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र कैम्प कोर्ट में खाता दुरूस्ती का प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 18.06.1992 को आदेश जारी किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के जांच के अनुसरण में नवल किशोर के लेखबद्व बयान हुये जिसमें नवल किशोर ने बयान दिया कि प्रकाशचन्द्र मेरे ताउ कन्हैयालाल के बचपन से ही गोद चला गया तथा उसकी जमीन पर ही काबिज है तथा दिनांक 18.06.1992 को ही प्रकाशचन्द्र के बयान हुये जिसमें यह तथ्य आया कि प्रकाशचन्द्र कन्हैयालाल के गोद है कन्हैयालाल के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा जो नामान्तरकरण तस्दीक हुआ उसकी पुश्त पर आदेश में दत्तक के तथ्य को दर्ज कर रखा है। नामान्तस्करण संख्या 335 पर स्पष्ट दर्ज है कि खातेदार की मृत्यु होने पर दत्तक पुत्र के नाम इन्तकाल तस्दीक हुआ तथा गोद पत्र नीटेरी पब्लिक से तस्दीक है। प्रकाशचन्द भारतीय सेना में नौकरी करता था जो सन् 1962 में भर्ती हुआ जिसकी डिस्चार्ज पुस्तिका में भी प्रकाशचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल लिखा हुआ है तथा अन्य दस्तावेजों में भी पिता का कन्हैयालाल दर्ज है। अपीलान्ट नरेश कुमार के पुत्र ने पेट्रोल पम्प हेतु इन्द्रपाल से लीज डीज बनवायी थी। जिसकी संशोधित लीज डीड दिनांक 08.09.2021 को बनी थी। इस प्रकार अपीलान्टस को उक्त नामान्तकरण की जानकारी प्रारम्भ से रही है। अपीलान्टस द्वारा अपील काफी देर से पेश की गई है। जानकारी होने के बावजूद भी अपील देर से पेश की है जिसका कोई उचित मानने योग्य दिन प्रतिदिन का कोई कारण नहीं बताया गया है। हाल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट नरेश कुमार पुत्र स्व0 शारदा एवं दयाराम वगैरह ने न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 335 ग्राम खिदरसर आदेश दिनांक 16.06.1992 कैम्प देरवाला प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि नामान्तरकरण जैर बहस शारदा की गैर हाजरी में व बिना जानकारी में स्वीकृत हुआ है। अपीलान्टस् को भी उक्त नामान्तरकरण की जानकारी कभी नहीं हुई। अपीलान्ट्स को भी उक्त नामान्तरकरण की जानकारी कभी नहीं हुई। कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद अपीलान्टस् की माता शारदा जमीन पर अपने जीवनकाल में काबिज रही। शारदा की मृत्यु होने के बाद अपीलान्ट्स काबिज हुए। दिनांक 10.02.2024 को रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 11 ने अपीलान्टस को जमीन से बेदखल करने की धमकी दी और यह कहा कि उनका जमीन में कोई लेना देना नहीं है। इस पर जानकारी कर दिनांक 12.02.2024 को जानकारी कर नामान्तरकरण जैर बहस की प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो उसी दिन तैयार होकर मिली। इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.02. 2024 को हुई। अपीलान्टस की अपील में मैरिट है। आदेश जैर बहस अवैध व शून्य है। अवैध व शून्य आदेश को चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपीलान्ट को अन्दर मियाद समाहत किये जाने का आदेश फरमाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2024 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि प्रकरण में अपीलान्टस/प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांकित 16.06.1992 के विरूद्ध अपील दिनांक 27.02.2024 को न्यायायल हाजा में प्रस्तुत की है यानि लगभग 32 वर्षों के बाद है। इतने लम्बे समय को यदि कण्डोन कर प्रार्थी की दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो उक्त अधिनियम नगण्य रह जायेगा। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों को समर्थन मिलता हो। अपीलान्टस/प्रार्थी को मियाद का लाभ दिया जाना न्यायालय की दृष्टि में उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने के अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये हैं। न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद कन्हैयालाल पुत्र दौलतराम की विरासत के नामान्तकरण को लेकर है। प्रकरण में हाल अपीलान्ट नरेश कुमार पुत्र स्व0 शारदा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांक 16.06.1992 के विरूद्ध अपील दिनांक 27.02.2024 को प्रस्तुत की गयी थी। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स ने लगभग 32 वर्षों के बाद नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्टस ने अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में यह कथन अंकित किया गया था कि अपील प्रस्तुत करने की मियाद काननू से 30 दिन तय है। नामान्तकरण जैर बहस शारदा की गैर हाजरी में व बिना जानकारी में स्वीकृत हुआ है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 12 व 14 को भी उक्त नामान्तरकरण की जानकारी कभी नहीं हुई। कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स की माता शारदा जमीन पर अपने जीवनकाल में काबिज रही है। शारदा की मृत्यु होने के बाद अपीलान्ट्स काबिज हुए। दिनांक 10.02.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 ने अपीलान्ट्स को जमीन से बेदखल करने की धमकी दी और यह कहा कि उनका जमीन में कोई लेना देना नहीं है। इस पर जानकारी कर दिनांक 12.02.2024 को जानकारी कर नामान्तकरण जैर बहस की प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो उसी दिन तैयार होकर मिली। इस प्रकार सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 12.02.2024 को हुई है, मानने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परमेश्वरी देवी पत्नी प्रकाशचन्द्र द्वारा दिनांक 01.02.2024 को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों द्वारा यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी नरेश कुमार ने अपने पुत्र के नाम से पेट्रोल पम्प के लिये आवेदन किया था जिसमें इन्द्रपाल पुत्र प्रकाशचन्द्र से लीज डीड बनवायी थी जो ख.नं. 128/858 में से बनवायी थी उक्त लीज डीड दिनांक 06.01.2021 की है। लीज डीड से पूर्व एक किरायानामा इन्द्रपाल ने निशान्त पुत्र नरेश कुमार के नाम बनवायी थी जो दिनांक 10.01.2019 को बनाया गया तथा दिनांक 06.01.2021 की संशोधित लीज डीड बनी थी जो दिनांक 09.09.2021 को बनी थी इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण के तथ्य व नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड अलग

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अलग होने के तथ्य का दिनांक 12.02.2024 से पूर्व से ही जानकारी है। प्राथींगण/अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब को क्षमा किए जाने हेतु जो भी युक्तियुक्त एवं वास्तविक कारण है, का विस्तृत उल्लेख आवेदन में करना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट कारण अंकित हीं नहीं किया गया है कि जिसकी वजह से उनका प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जा सके। वास्तविकता में विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील प्रस्तुत करने हेतु नियत समयावधि के पश्चात हुए विलम्ब के लिए प्रत्येक दिन के विलम्ब को स्पष्ट रूप से अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया जाना आवश्यक है, किंतु फिर भी अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया है कि जिसकी वजह से 32 वर्ष की अवधि के विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों को समर्थन मिलता हो।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों में यथा पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस में प्रकाशचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि प्रकाश चन्द्र, कन्हैयालाल का दत्तक पुत्र था और दत्तक पुत्र होने के कारण ही तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 335 ग्राम खिदरसर आदेश दिनांक 16.06.1992 द्वारा स्वीकृत किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2024 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि प्रकरण में अपीलान्टस/प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 335 दिनांकित 16.06.1992 के विरूद्ध अपील दिनांक 27.02.2024 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है यानि लगभग 32 वर्षों के बाद है। इतने लम्बे समय को यदि कण्डोन कर प्रार्थी की दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो उक्त अधिनियम नगण्य रह जायेगा। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों को समर्थन मिलता हो। अपीलान्टस/प्रार्थी को मियाद का लाभ दिया जाना न्यायालय की दृष्टि में उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने के अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2024 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

<u>**अतः आदेश है**</u> कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर